न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सार्व0वि0प्र0 वाद संख्या–10/2013
बिजली पासवान बनाम बिहार सरकार

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
05/06/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक बिजली पासवान, पे0–आनन्दी पासवान, साकिन–करकौली, थाना–घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल के आदेश ज्ञापांक–943/गो0, दिनांक– 05.07.11 से आवेदक के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति संख्या–07/2001 को रद्द किये जाने के विरूद्ध वाद आवेदन दायर किया गया है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–22089/2012 बिजली पासवान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–05.12.12 को पारित आदेश की प्रति दाखिल किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है। "Let petitioners file appeal questioning the validity of the cancellation order within 30 days from the date of receipt of the certified copy of this order. In case, appeal is filed within the time indicated above, the Collector, Darbhanga shall not only condone the delay filing the appeal, but shall also proceed to dispose of the same within a reasonable time, not exceeding two months from the date of receipt of the memo of appeal annexing a copy of this order in the office of the Collector, Darbhanga." आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय से अभिलेख की मॉग की गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल के द्वारा पत्रांक–2601 दिनांक–30.08.2013 से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख पर संधारित है। वाद आवेदन के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक–11.06.2011 को आवेदक के विरूद्ध घनश्यामपुर थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–07 के अन्तर्गत 70 लीटर किरासन तेल घर से बरामद होने के कारण प्राथमिकी संख्या–92/2011 दर्ज की गयी थी। अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल द्वारा आवेदक से स्पष्टीकरण पुछा गया जिसके उपरांत अनुमण्डल पदाधिकरी, बिरौल द्वारा आदेश दिनांक–05.07.2011 से आवेदक की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–22089/2012 दायर किया गया जिसमें दिनांक–05.12.2012 को पारित आदेश के अनुपालन में स–समय वाद दायर किया गया। उनका यह भी कहना है कि घनश्यामपुर थाना कांड संख्या–92/11 में पुलिस द्वारा जाँच में ''तथ्य को भूल'' माना है। अनुमण्डल पदाधिकरी, बिरौल द्वारा दिनांक–05.07.2011 को पारित आदेश विधि विरूद्ध है। आवेदक द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण पर	